राजस्थान–सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर

कमांकः प.1/प्रति.3/नर्स.कम्पा./भर्ती/2021/4/ दिनांकः

आदेश

नर्स–कम्पा. भर्ती 1/2021 व 2/2021 के तहत अमरती देवी को विभाग द्वारा जारी नियुक्ति आदेश कमांक 10694 दिनांक 24.05.2022 के द्वारा कम संख्या 08 पर सिंहडा–जोधपुर में नियुक्ति प्रदान की गई थी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांक 06.06.2022 व उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग, जोधपुर के पत्रांक दिनांक 06.06.2022 के कम में संबंधित अभ्यर्थी पंचायती राज विभाग फलोदी में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत होने व चार्ज हस्तान्तरण सुचारू रूप से सम्पन्न कर सके इस हेतु आयुर्वेद नर्स/कम्पा. पद पर कार्यग्रहण करने के संबंध में अवधि वृद्धि चाही गई, जिसके कम में विभागीय आदेश दिनांक 13.06.2022 द्वारा 30 दिवस की अवधि वृद्धि की गई। पुनः संबंधित अभ्यर्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.07.2022 व उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग, जोधपुर के पत्रांक दिनांक 08.07.2022 द्वारा चार्ज हस्तान्तरण किये जाने हेतु अवधि वृद्धि चाही गई, जिसके कम में विभागीय आदेश दिनांक 18.07.2022 द्वारा 30 दिवस की पुनः अवधि वृद्धि की गई। इस प्रकार कुल 60 दिवस की अवधि वृद्धि की गई।

अभ्यर्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करवाये जाने के संबंध में एस.बी.सिविल रिट संख्या 10247/2022 अमरती देवी बनाम राजस्थान राज्य याचिका दायर की गई हैं। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22.08.2022 को आदेश पारित कर संबंधित को दिनांक 03.06.2022 से नोशनल लाभ देते हुए 07 दिवस में पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करवाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये हैं।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशों की पालना में संबंधित अभ्यर्थी अमरती देवी को पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु आदेश जारी होने की दिनांक से 07 दिवस का अवसर प्रदान किया जाता हैं। अभ्यर्थी द्वारा 07 दिवस के भीतर कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

(डॉ.मोहन सिंह मीणा)
सहायक निदेशक

कमांकः प.1/प्रति.3/नर्स.कम्पा./भर्ती/2021/4/16093 दिनांकः 26/8/2022

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. उपविधि परामर्शी, निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान–अजमेर।
3. अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग, जोधपुर।
4. उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, जोधपुर को देकर लेख हैं कि संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित करावें।
5. प्रोग्रामर, निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान–अजमेर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने व संबंधित को ई–मेल करने हेतु।
6. संबंधित अभ्यर्थी–द्वारा विभागीय वेबसाईट।
7. सामान्य पत्रावली।

सहायक निदेशक